

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि. / सम्बद्धता / 03- (तीन) / 2016 / 600
दिनांक : २३-०१-१६

सेवा में,

प्रबन्धक,
मूलचन्द महाविद्यालय,
होलीपुर, गाजीपुर।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-12.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक- 09 मई 2000 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 अस्थवा 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्राचार्य पद पर चयनित निम्नलिखित अस्थर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंकपत्रों/प्रमाणपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अस्थर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम
डॉ० अवधेश किशोर	श्री रामजी लाल शर्मा	26.10.1967	एम.एस.सी., पी.एच.डी.	प्राचार्य

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अस्थर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय सन्दर्भित प्राचार्य का भौतिक सत्यापन तीन माह के अन्दर करा लिया जाय तथा A.I.S.H.E. के अन्तर्गत।

भवदीय

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
 वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
 जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/03-(तीन)/2014/ 6291
 दिनांक : 21-३-2014

सेवा में,

प्रबन्धक,
 मूलचन्द महाविद्यालय,
 होलीपुर, गाजीपुर।

विषय:— स्ववित्तपोषित योजना के अधीन स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अंग्रेजी, भूगोल, संस्कृत, गृहविज्ञान एवं समाजशास्त्र विषयों में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक—28.11.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक—09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 एवं 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण—पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत /अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
1	डॉ जन्मेजय कुमार तिवारी	श्री कर्णेया लाल तिवारी	05.03.1984	एमोए, पी—एच०डी० 2012	अंग्रेजी
2	श्री राजेश कुमार यादव	.. बाबूलाल यादव	01.08.1977	एमोए, नेट जून 2012	भूगोल
3	डॉ विपुल चौधरी	स्व० भूवनेश्वर चौधरी	17.01.1969	एमोए, पी—एच०डी० 2002	संस्कृत
4	क० दिव्या रानी	श्री हरिश्चन्द्र	25.12.1988	एमोए, नेट जून 2012	गृहविज्ञान
5	श्री अतुल मिश्रा	.. सुरेश चन्द्र मिश्रा	26.01.1980	एमोए, नेट जून 2012	समाजशास्त्र

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

मवदीय,

५५८१/१६१
 १०/८१
 वा.कुलसचिव

Fax.: (05452) 252244, 252344

Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/03-(तीन)/2015/ १०९७४
दिनांक :

२५-०३-१५

सेवा में,

प्रबन्धक,

मूलचन्द महाविद्यालय,
होलीपुर, गाजीपुर।

विषय:- मूलचन्द महाविद्यालय, होलीपुर, गाजीपुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रवक्ता हिन्दी पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 12.09.2014 एवं 21.02.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई, 2000 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर चयनित प्रवक्ता के अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाया गया तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता का नाम	जन्म-तिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम
श्री रोहित कुमार यादव	श्री तेज बहादुर यादव	06.06.1989	एम.ए., नेट	हिन्दी

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। तथा AISHE के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करा लें, एवं उक्त प्रवक्ताओं का भौतिक सत्यापन तीन माह के अन्दर करा लिया जाय।

भवदीय,


कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/03- (तीन)/2016/ 6007
दिनांक : २३-०१-१६

सेवा में,

प्रबन्धक,
मूलचन्द महाविद्यालय,
होलीपुर, गाजीपुर।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-12.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति भहोदय ने शासनादेश दिनांक- 09 मई 2000 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 अथवा 05 वर्ष की सविदा के आधार पर प्राचार्य पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी के अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंकपत्रों/प्रमाणपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम
डॉ अपदेश किशोर	श्री रामजी लाल शर्मा	26.10.1967	एम.एस.सी., पी.एच.डी.	प्राचार्य

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेशी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय सन्दर्भित प्राचार्य का भौतिक सत्यापन तीन माह के अन्दर करा लिया जाय तथा A.I.S.H.E. के अन्तर्गत।

भवदीय

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/03-(तीन)/2015/ ६४३
दिनांक : १९.५.१५

सेवा में,

प्रबन्धक,
मूलचन्द महाविद्यालय,
होलीपुर, गाजीपुर।

विषय:— स्ववित्तपोषित योजना के अधीन स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अर्थशास्त्र विषय में प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक—02.03.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश शासनादेश दिनांक—09 मई 2000, 31 दिसम्बर, 2010 व 25 नवम्बर, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत तीन अथवा पाँच वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभिर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण—पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभिर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत / अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
1	डॉ. विष्णुदेव	श्री संगम लाल	10.07.1979	एम०ए० पी०ए८-डी०-2012	अर्थशास्त्र

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं रांविदा प्रपत्र अभिर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेडी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्यन्ति (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय साथ ही AISHE Survey के अन्तर्गत महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। यदि भौतिक सत्यापन पूर्ण नहीं तो तीन माह में पूर्ण करा लें।

भवदीय,

कुलसचिव